157

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

III/निगरानी/सीधी/भूरू/2017/3748 दयाशंकर आदि

-- निगरानीकर्त्तागण

बनाम

श्रीमती शशि मिश्रा

-- प्रतिनिगरानीकर्त्ता

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम

माननीय महोदय,

विनम्र प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1. यह कि, अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय ने तहसीलदार महोदय द्वारा नामांतरण पंजी में वंशवृक्ष के सभी सदस्यों के नाम इन्द्राज वाले आदेश की कार्यवाही दिनांक 07-10-2016 को स्थगित रखे जाने को आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है जिसमें वर्णित आधारों पर सफलता मिलने की पूर्ण आशा व विश्वास है।

2. यह कि, प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां लंबित अपील में पूर्व में श्री आर.पी. गौतम एडवोकेट को पैरवी हेतु नियुक्त किया गया जिनके द्वारा प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगण को समय पर नहीं दी गई। प्रार्थीगण क्रमांक-1 वृद्ध व बीमार होकर भोपाल (म.प्र.) में तथा 3 लगायत 6 ग्राम सौन्दा (सुन्दा) जिला देवरिया (उ.प्र.) में निवास करते हैं। इस कारण भी तथा अधिवक्ता द्वारा यह कहने पर कि अभी प्रकरण की कार्यवाही में आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, होने पर सूचित कर देंगे, कहे जाने पर भी अधिवक्ता के कहे अनुसार विश्वास किये हुये थे। प्रार्थीगण द्वारा काफी समय से जानकारी ना दिये जाने पर तथा अधिवक्ता द्वारा सहयोग ना दिये जाने से दिनांक ..... को प्रकरण में पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह एडवोकेट को नियुक्त किया गया। उनके द्वारा प्रकरण का गहन अध्ययन कर प्रार्थीगण को दिनांक 07-10-2016 को पारित आदेश की जानकारी दिनांक 30-08-2017 को दिये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/3748

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-10-2017	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 42/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–10–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण के अभिभाषक के निगरानी की ग्राह्यता पर तर्क सुने जा चुके है। 2/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसील न्यायालय में पक्षकारों के बीच बटवारे की कार्यवाही चल रही थी किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने नामान्तरण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में बटवारा कार्यवाही रोकने का अंतरिम आदेश देने में भूल की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन का अंतरिम आदेश दिनांक 7–10–16 निरस्त किया जाय। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मूल भूमिस्वामिनी रामपरी पत्नि जगदीश प्रसाद मिश्रा के फोत होने पर उसके स्थान पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 11 पर आदेश दिनांक 3–9–13 से आवेदकगण का नामान्तरण किया गया है एंव नामान्तरण से प्राप्त भूमि के भूमिस्वामी बनने के वाद आवेदकगण ने बटवारे की कार्यवाही तहसील न्यायालय में कराई है, जिसके विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गलत आधारों पर अपील प्रस्तुत की हैं एंव अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन ने नामान्तरण की अपील में बटवारा कार्यवाही पर स्थगन देने की त्रुटि की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दि. 7–10–16 निरस्त किया जाय। 4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के कम में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब आवेदकगण स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय	

अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलित है एंव जिस भूमि के हक के विवाद पर अपील लम्बित है उसी भूमि को वह बटवारा कराना चाहते हैं। स्पष्ट है कि फोती नामान्तरण से प्राप्त भूमि की स्थिति में यदि बटवारे के आधार पर फेर-फार होता है , पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ेगी। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-16 से स्थगन दिये जाने का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अंतिम पद इस प्रकार है :-

'' अपीलार्थी को सुना जाकर स्थगन दिया जाना न्यायहित में है। अतः तहसीलदार के न्यायालय में चल रही बटवारे की कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया जाता है। ''

अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन का अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-16 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। संहिता की धारा 52 (2) में इस प्रकार व्यवस्था है :-

'' परन्तु आदेश का निष्पादन एक वार में तीन मास से अधिक के लिये या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जावेगा। ''

इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 7-6-16 संहिता की धारा 52 में दिये गये प्रावधानों के कारण 7-6-16 से मात्र तीन माह तक प्रभावी माना जावेगा, इसके उपरांत स्वतः निरस्त है जिसके कारण अंतरिम आदेश दिनांक 7-6-16 के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी प्रचलन-योग्य न रहने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य